न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–509/2026

(CNR No.UPBH010012552026)

विक्रम उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र छैल बिहारी, निवासी–कटहरिया, थाना–कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा––– –––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी०जी०सी०(दाण्डिक), बहराइच।

–––––अभियोगी।

अपराध संख्या–311/2024,
धारा–306 भा०द०सं०,
थाना–विशेश्वरगंज, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

30.03.2026

1. थाना–विशेश्वरगंज, जनपद–बहराइच के अपराध संख्या–311/2024, अन्तर्गत धारा–306 भा०द०सं० के प्रकरण में जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध अभियुक्त विक्रम की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी राजू के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के अनुसार उसका जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अपर सिविल जज(प्र०ख०)/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक–13.02.2026 को निरस्त किया गया है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा कान्ती देवी वेबा मेवालाल, निवासिनी ग्राम–खरकटनपुरवा बड़ागाँव, थाना–विशेश्वरगंज, जनपद–बहराइच ने अपनी लड़की पिन्टू उर्फ संगीता का विवाह लगभग छः वर्ष पूर्व विपक्षी सं०–1 विक्रम के साथ किया था तथा विवाह में अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था। विपक्षीगण दहेज लोभी व्यक्ति हैं। विवाह के समय से ही विपक्षीगण उसकी लड़की को कम दहेज लाने का ताना मारने लगे तथा तंग, परेशान करने लगे। उक्त सारी बातें उसकी लड़की उससे बतायी। वादिनी ने अपनी लड़की को काफी समझाया तथा विपक्षीगण से बात करने को कहा। वादिनी ने विपक्षीगण से विधवा होने का तथा गरीबी की बात बतायी, लेकिन विपक्षीगण एक बात नहीं माने तथा अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे। वादिनी की बेटी को कम दहेज के लिये मारने, तंग, परेशान करते रहे। इसी बीच उसकी बेटी के दो सन्तान एक लड़का, एक लड़की पैदा हुई। विपक्षी सं०–1 उसकी बेटी को लेकर लुधियाना चला गया, जहाँ पर काफी मारता–पीटता था, जिसकी शिकायत उसकी बेटी हमेशा करती रहती। दिनांक–16.11.2022 को दिन में दो बजे फोन से विपक्षी सं०–1 ने सूचना दिया कि उसकी बेटी फाँसी लगाकर मर गयी है। उसे शंका है कि विपक्षीगण ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है।

5. वादिनी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक–08.11.2024 को समय 17:48 बजे आवेदक/अभियुक्त विक्रम व सह–अभियुक्तगण मुनव्वर उर्फ बजरंगी, प्रताप, ललित व श्यामा देवी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–311/2024, धारा–498–ए,

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.30 16:38:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

304–बी भा०द०सं० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में थाना–विशेश्वरगंज पर पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा–498–ए, 304–बी भा०द०सं० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम का साक्ष्य न पाये जाने के कारण धारा–306 भा०द०स० में मामला तरमीम किया गया तथा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण मुनव्वर उर्फ बजरंगी उर्फ बजरंग लाल, प्रताप उर्फ शिव प्रताप, ललित उर्फ लाल बाबू व श्यामा देवी के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा–306 भा०द०सं० के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि उक्त अभियोग घटना दिनांकित–16.11.2022 के बावत काफी दिनों से धारा–156(3) द०प्र०सं० के माध्यम से थाना–विशेश्वरगंज में पंजीकृत कराया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। घटनास्थल लुधियाना में होना कहा गया, जहां राज्य पंजाब पुलिस, थाना–एटा मॉडल टॉउन जिला(साउथ कैरोलिना) पुलिस कमिश्नर जी०डी० सं०–020, जी०डी० दिनांक(सम्भावित) 16.10.2022 समय 17:22 बजे पर अंकित है। जहाँ प्रकरण की जांच विवेचक द्वारा किया गया। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये गम्भीर आरोप की पुष्टि नहीं हुई और अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध साबित न होते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और वादिनी द्वारा फर्जी तथ्यों के आधार पर उक्त अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। तथाकथित घटना सम्बन्धित थाना–विशेश्वरगंज में घटित नहीं हुई है, जहां घटना घटित होने का कथन किया गया है, वहाँ प्रकरण की जांच से साबित नहीं हुई, जिससे घटना पूर्णरूप से संदिग्ध प्रतीत होती है। वह दिनांक–13.02.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादिनी की लड़की मृतका पिन्टू उर्फ सुनीता शादी के बाद आवेदक/अभियुक्त के साथ लुधियाना में रहती थी। मृतका के मायके के परिजनों व अन्य गवाहों के बयान आदि से पिन्टू उर्फ सुनीता को उसके ससुराल ग्राम–कटहरिया व लुधियाना में प्रताड़ित करते रहने की बातें बतायी गई हैं, जिससे तंग आकर पिन्टू उर्फ सुनीता ने लुधियाना में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक/अभियुक्त विक्रम, पिन्टू उर्फ सुनीता(मृतका) का पति है। गवाहों के बयान आदि से आत्महत्या के दुष्प्रेरण के साक्ष्य पाये जा रहे हैं। मृतका सुनीता का पोस्टमार्टम दिनांक–17.11.2022 को समय 15:25 पर एल०एम० सिविल हॉस्पिटल,लुधियाना, पंजाब में किया गया, जिसके अनुसार मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क "V" आकार का पाया गया एवं मृत्यु का कारण Asphyxia Due to Hanging अंकित है। आवेदक/अभियुक्त की प्रताड़ना से तंग आकर मृतका सुनीता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादिनी मुकदमा व अन्य साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने, अभियोग के साक्षियों को प्रभावित करने एवं पलायन कर जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

9. पत्रावली एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका पिन्टू उर्फ सुनीता, जो शादी के बाद से उसके साथ लुधियाना में रहती थी, उसे मारा–पीटा व प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर पिन्टू उर्फ सुनीता ने फांसी लगाकर आत्महत्या

कर ली। मृतका पिन्टू उर्फ सुनीता का पोस्टमार्टम दिनांक–17.11.2022 को एल०एम० सिविल हॉस्पिटल, लुधियाना, पंजाब में किया गया, जिसमें उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व थायरॉइड उपास्थि के स्तर पर गर्दन के चारों ओर "V" आकार का लिगेचर चिह्न पाया जाना तथा मृतका की मृत्यु का कारण Death due to Hanging के कारण होना उल्लिखित है। प्रस्तुत मामले की घटना लुधियाना(राज्य पंजाब) में घटित हुई है, जिसके सम्बन्ध में राज्य पंजाब में पुलिस थाना एटा मॉडल टाउन जिला (साउथ कैरोलिना) पुलिस कमिश्नर, जी०डी० सं०–020 दिनांक–16.11.2022 को समय 17:22 बजे अभियोग पंजीकृत किया गया। केस डायरी के साथ पंजाब राज्य की उक्त जी०डी० की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इसी घटना के सम्बन्ध में वादिनी कान्ती देवी की ओर से आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार पुनः आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–498ए, 304बी भा०द०सं० व ¾ डी०पी० एक्ट, थाना–विशेश्वरगंज में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मृतका के दहेज मृत्यु का कोई साक्ष्य न पाये जाने के आधार पर विवेचक द्वारा मामले को धारा–498ए, 304बी भा०द०सं० व ¾ डी०पी० एक्ट से धारा–306 भा०द०सं० में परिवर्तित किया गया। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–13.02.2026 से न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है। मामले में विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध उपरिवर्णित धाराओं में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है।

10. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विक्रम की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को 1,00,000/–रूपये(एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. आवेदक/अभियुक्त मामले के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं मामले की प्रत्येक सुनवाई पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं०(नवीन धारा–351 बी०एन०एस०एस०) के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा, साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
4. अभियुक्त, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
5. अभियुक्त उपरोक्त अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id.No.UP02017

दिनांक–30.03.2026